न्यायालय :— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 13.06.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/165

प्रार्थीया :—
1.—सायरी पत्नी शकरूदीन जाति मेहरात निवासी
रूपनगर बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1— कालू पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी
रामगढ बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान
2— तहसीलदार रायपुर भूमिधारी राजस्थान सरकार रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री राजूराम कुमावत वगैरह अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थीगण संख्या 01 अनुपस्थित एवं सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 17.02.2025

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजूराम कुमावत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे खसरा नम्बर 1006 रकबा 1.6754 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया काबिज खातेदार है और उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया की अलग से बंटी हुई है और राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबन्दी मे अलग से दार्शित है नकल जमाबन्दी व राजस्व नक्शा प्रार्थानापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की आराजी को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। इसी प्रकार सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षैत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के पास मे ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि आई हुई है उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 की कृषि भूमि जो प्रार्थीया की कृषि भूमि के उत्तर दिशा की तरफ स्थित है। नकल जमाबन्दी व नक्शा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीया की कृषि भूमि प्रार्थीया के अकेले की कृषि भूमि है और मौके पर प्रार्थीया का कब्जा है प्रार्थीया की भूमि राजस्व रेकार्ड के नक्शे मे अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 जिसकी कृषि भूमि जो से अलग है और उनकी भूमि भी अलग से मौके पर बंटी हुई है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीया की जमीन की मौके पर मांठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एंव आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 विवाद करता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया को बेवजह हैरान परेशान करते

गुलाबसिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

है जबकि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 जानबुझकर के गांठ को लेकर विवाद करते है और बार बार कभी गांठ को बिखेर देते है व कभी गांठ हटा देते है इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि मे दस्तअन्दाजी करते है और सीमा को लेकर विवाद करते है इसलिए प्रार्थीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र कराने सीमाज्ञान का विरूद्व अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। अप्रार्थीया संख्या 1 अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड मे अलग दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 गैर कानूनी तरीके से विधिविरूद्व रूप से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहेहै और प्रार्थी की कृषि भूमि की कायम गांठ को बिखेर का अपना हक जता रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून को हाथ मे लेकर गैर कानूनी कृत्य करने हुए सीमा विवाद खड़ा कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व सीमा विवाद किया तब दिनांक 29/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष एक लिखित प्रार्थनापत्र सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रस्तुत किया तो उन्होने मौके पर विवाद होने से न्यायालय से आदेश लाने का निवेदन करने पर प्रार्थीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की ओर से विरूद्व अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 28/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप करवाने एंव सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार हो गये तथा प्रार्थीया ने दिनांक 29/04/2024 को अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जैतारण का अपनी भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 2 ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की तथा मौके पर सीमा को लेकर विवाद है इसलिए सक्षम न्यायालय से आदेश जरिये पुलिस इमदाद के किया जाना संभव है तब प्रार्थीया के पास न्यायालय की शरण के अलावा कोई कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 की आराजी सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष निर्धारित न्याय शुल्क पर सादर पेश है। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तोवजात पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षैत्र बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1006 रकबा 1.6754 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.8094 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमियो का माफिक राजस्व रेकार्ड अनुसार मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगड्डी की जावे एंव सम्पूर्ण नापचौप करने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि भविष्य मे सीमा विवाद नही करे और यदि व अप्रार्थीगण संख्या 1 सीमाज्ञान के वक्त कोई विवाद करता है तो उक्त आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद से कारवाई जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं, पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को गांठ को लेकर एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया हैं।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षैत्र बाबरा मे स्थित प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1006 रकबा 1.6754 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम में, प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बाबरा पटवार हल्का बाबरा भू निरीक्षक क्षैत्र बाबरा के खसरा नम्बर 1006 रकबा 1.6754 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगढ़ी करवाई जावें एवं तहसीलदार रायपुर, मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (ब्यावर)

क्रमांक : कोर्ट / 2025 / 156 दिनांक 18/02/25
प्रेषित :

तहसीलदार
रायपुर

विषय : राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 2024 अनवान सायरी बनाम कालू वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 17.02.2025 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयक अनवान में अन्य न्यायालय का कोई स्थगन नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावें।

संलग्न : निर्णय की छाया प्रति।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)